निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ

पत्र संख्या–C-763/बा0वि0परि0/अनु0पो0/2020–21 दिनांकः02 दिसम्बर 2020

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति शासनादेश दिनांक 01.10.2020 के अनुपालन में प्रदेश के समस्त जनपदों में वितरण का कार्य किया जा रहा है।

विदित है कि अक्टूबर 2018 के सर्वे के अनुसार ही लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार का वितरण वर्तमान तक किया जा रहा था जिसे कि उचित नही माना जा सकता। इसी के दृष्टिगत इस वर्ष समस्त पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या को अद्यतन कर उसके डिजिटाइजेशन किये जाने का निर्णय लिया गया। यह कार्य सी0एस0सी0 के सहयोग से कराया जा रहा है। लाभार्थियों के डाटा फीडिंग का कार्य पूर्ण न होने के दृष्टिगत नई व्यवस्था के अन्तर्गत तृतीय त्रैमास का आपूर्ति आदेश आपके द्वारा पूर्व माहों में उपलब्ध करायी गयी डी0आई0 के आधार पर ही जारी की जानी थी, परन्तु आप द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र की कोटेदार के साथ मैंपिंग विलम्ब से एवं त्रुटिपूर्ण उपलब्ध कराये जाने एवं डी0आई0 के डाटा में भी कतिपय त्रुटियां होने के कारण तदनुसार जारी नहीं की जा सकी। उदाहरण स्वरुप कॉल सेन्टर से उक्त डाटा के सत्यापन पर लगभग 60,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के मोबाइल नम्बर त्रुटिपूर्ण थे, आंगनबाड़ी कोड या तो अंकित नहीं थे या त्रुटिपूर्ण अंकित थे, आपके द्वारा उपलब्ध गया किशोरी बालिकाओं का एवं अतिकुपोषित बच्चों का डाटा में दिये गये आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी कोड में विसंगतियां थी, जिससे उनकी मैंपिग मूल डी0आई0 के डाटा से किये जाने में समस्यायें उत्पन्न हुई। सत्यापन में यह भी पाया गया कि कई लाभार्थियो के नाम के आगे उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर भी काल सेन्टर से सत्यापन में त्रुटिपूर्ण पाये गये है, जिस कारण से वितरण का सत्यापन भी पूर्ण नही हो सका है।

वर्तमान में चतुर्थ त्रैमास की डी0आई0 जारी होनी है। किन्तु लगभग तीन माह बाद भी लगातार पत्राचार, निर्देश, प्रशिक्षण एवं पृच्छा निस्तारण के पश्चात भी आपके द्वारा इस डाटा की त्रृटियों का निराकरण नहीं किया गया एवं तृतीय त्रैमास की वितरण रिपोर्ट भी पोर्टल पर अपलोड नहीं की गयी।

इस क्रम में अन्तिम अवसर के रुप में निर्देशित किया जाता है कि **दिनांक 07.12.2020 तक प्रत्येक दशा में** पोर्टल पर अपने जनपद से सम्बन्धित डाटा को त्रुटिरहित

करें एवं तृतीय त्रैमास की वितरण रिपोर्ट अपलोड करें । इस संबंध में निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

1. चूंकि कतिपय आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के मोबाइल नम्बर गलत अंकित है। अतः पोर्टल पर उनके आधार नम्बर से लागिन का भी विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है।
2. चूंकि अभी दाल एवं दुग्ध उत्पादों का वितरण अवशेष है अतः वितरण रिपोर्ट को संशोधित करने का विकल्प भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा मुख्य सेविका वार उनके अन्तर्गत आने वाली समस्त आंगनवाड़ी केन्द्र प्रभारी को रोस्टरवार बुलाकर डाटा का सत्यापन/संशोधन उपरोक्त दिनांक तक प्रत्येक स्थिति में पूर्ण करायें।
4. यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को डाटा करेक्शन अथवा रिपोर्ट अपलोडिंग में यदि कोई समस्या है तो वह आवश्यकतानुसार किसी भी निकटतम सी0एस0सी0 से सहयोग प्राप्त करते हुये उक्त कार्य सम्पादित करें।
5. कॉल सेन्टर से प्रत्येक माह वितरित टी0एच0आर0 का रेण्डम सत्यापन लाभार्थीवार किया जायेगा। यदि किसी आंगनबाड़ी केन्द्र के सत्यापित लाभार्थियों से वितरण की पुष्टि नही होती है अथवा वितरण के संबंध में अनियमिततायें संज्ञान में आती है तो इसे गंभीरता से लेते हुये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा एवं उस आंगनबाड़ी के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।
6. पत्र संख्या सी0–626/बा0वि0परि0/स्वा0एवंपो0/2020–21 दिनांक 27.10.2020 द्वारा नामित 06 नोडल अधिकारियों द्वारा उपरोक्त दिशा–निर्देशों का निर्धारित समय–सीमा में अनुपालन अपने आवंटित क्षेत्र में सुनिश्चित करायेगें।

यदि उपरोक्त निर्धारित तिथि तक उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित जनपद के डाटा की त्रुटियों एवं उससे उत्पन्न हो रही विसंगति/समस्याओं का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी का होगा।

(डा0 सारिका मोहन)
निदेशक